



Neutral Citation No. - 2026:AHC:181264

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 3968 सन् 2026

जेड (किशोर)

..... पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कुलदीप सिंह तोमर

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

1. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दाखिल अनुपालन शपथपत्र को अभिलेख पर लिया गया।
2. विपक्षी पक्षकार को नोटिस पहले ही तामील किया जा चुका है, किंतु राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के अतिरिक्त उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
4. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा 102 के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाए तथा अपर सत्र न्यायाधीश, (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) न्यायालय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संख्या 1, मुजफ्फरनगर द्वारा आपराधिक अपील संख्या 61 सन् 2026 (लल्ला @ शाहिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित दिनांक 27.5.2026 के निर्णय एवं आदेश तथा मुकदमा अपराध संख्या 365 सन् 2022, धारा 377 भारतीय दंड संहिता एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4, थाना शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर में किशोर न्याय बोर्ड, मुजफ्फरनगर द्वारा पारित दिनांक 29.4.2026 के जमानत निरस्तीकरण आदेश को अपास्त किया जाए तथा आगे यह कृपा की जाए कि मुकदमा अपराध संख्या 365 सन् 2022, धारा 377 भारतीय दंड संहिता एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4, थाना शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर में किशोर न्याय बोर्ड, मुजफ्फरनगर के समक्ष विचारण लंबित रहने के दौरान किशोर को उसके पिता अर्थात् जान मोहम्मद की अभिरक्षा में रिहा किया जाए।

5. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता की आयु लगभग 13 वर्ष है तथा वह 16.4.2026 से संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षणकर्ता तथा 3 अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगभग 8 वर्ष की आयु के पीड़ित के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने का आरोप है। उनमें से एक सह-अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में अन्वेषण के पश्चात पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर सूचनाकर्ता के कहने पर विरोध प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसे परिवाद के रूप में माना गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता तथा अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को धारा 377/511 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के लिए समन किया है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 5 दिनों के विलंब के पश्चात बिना किसी विश्वसनीय स्पष्टीकरण के दर्ज कराई गई तथा पीड़ित के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किए जाने का संकेत देने वाली कोई चिकित्सीय रिपोर्ट नहीं है। जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्तमान अपचारी के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विचार नहीं किया गया है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत आवेदन का निर्णय करते समय इन सभी तथ्यों पर विचार

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नहीं किया तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपील को निरस्त करते समय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार नहीं किया, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अपचारी 18.04.2026 से किशोर देखरेख गृह में निरुद्ध है और उसका मनोविज्ञान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, अतः किशोर न्याय बोर्ड तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने तथा आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपर्युक्त प्रार्थना का विरोध किया।
7. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख के परिशीलन, पीड़ित एवं अपचारी की आयु, पीड़ित के कथन तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों एवं जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर समुचित रूप से विचार नहीं किया, बल्कि अपना न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है तथा किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।
8. तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 29.04.2026 को तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2026 को पारित आदेश एतद्वारा अपास्त किए जाते हैं और वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।
9. यह निर्देशित किया जाता है कि अपचारी/आवेदक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, पुनरीक्षणकर्ता (अपचारी का विधिक संरक्षक) द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के 2 प्रतिभू प्रत्येक संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) पुनरीक्षणकर्ता/प्राकृतिक संरक्षक इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जमानत पर रिहा किए जाने के पश्चात पुनरीक्षणकर्ता को किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी अथवा उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



खतरे के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा तथा आगे यह कि पिता यह सुनिश्चित करेगा कि किशोर द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति न की जाए।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता/प्राकृतिक संरक्षक इस आशय का वचनपत्र भी प्रस्तुत करेगा कि किशोर उपयुक्त स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखेगा, जिसके लिए उसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उसे अपना समय अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में व्यर्थ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किशोर तथा पुनरीक्षणकर्ता/प्राकृतिक संरक्षक प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा तथा नियमित रूप से उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसी आवधिकता के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित करें।

31 अगस्त, 2026

जी.एस.एस.

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”